रसद विविध प्रकरण संख्या : 7/2024

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर बनाम महेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 07/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/11

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल घांची निवासी घांचियो का बास, नहर के पास सुमेरपुर हाल प्रोपराईटर मैसर्स वैभव किराणा स्टोर व जनरल स्टोर्स, नेशनल हाईवे सांडेराव से सुमेरपुर हमारा पम्प के पास सुमेरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

—:निर्णय:—

दिनांकः 23.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बीपीसीएल कम्पनी के मय गैस निकालने की 04 नीपल व 01 पाईप तथा 04 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर (05 किग्रा) को राज्यसात करवाने बाबत पेश किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 25.12.2022 को श्री जबरसिंह जिला रसद अधिकारी पाली के निर्देशन में मन जितेन्द्रसिंह आशिया, प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर हमराह श्री महेश कुमार जांगिड पवर्तन निरीक्षक रानी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी भ्रमण दौरान जांच हेतु साण्डेराव से सुमेरपुर नेशनल हाईवे स्थित मैसर्स वैभव किराणा व जनरल स्टोर्स, सुमेरपुर पर पहूंचे। मौके पर महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल घांची, निवासी सुमेरपुर उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का प्रोपराइटर होना बताया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान श्री दशरथसिंह पुत्र श्री दातारसिंह, निवासी हाल आर.आई. बांकली, तहसील सुमेरपुर व श्री जीवाराम पुत्र श्री भोमाराम, हेड कॉन्स्टेबल न. 29, पुलिस थाना सुमेरपुर की उपस्थिति में जांच करने पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बीपीसीएल कम्पनी के मय गैस निकालने की 04 नीपल व 01 पाईप तथा 04 छोटे अप्रामणिक गैस सिलेण्डर (5 किग्रा.) पाये गये, जिनमें, घरेलु गैस सिलेण्डरों से गैस रिफिल की जा रही थी। मौके पर पूछताछ करने पर कोई विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध रुप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री किये जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स माधव गैस एजेन्सी, सुमेरपुर के मैनेजर द्वारा हैंगिक स्केल से तौल करवाया गया एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफलींग किये जाने के फलस्वरुप मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बीपीसीएल कम्पनी के मय गैस निकालने की 04 नीपल व 01 पाईप तथा 04 छोटे अप्रामणिक गैस सिलेण्डर (5 किग्रा.) को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु अल्ताफ हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सुमेरपुर हाल मैनेजर मैसर्स माधव गैस एजेन्सी, सुमेरपुर को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी ने घरेलु गैस सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए.सी की अवहेलना की है जो कि आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

CamScanner

वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022/ दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभाग द्वारा मनमाने ढंग से तथा वास्तविकता से परे जाकर मौके पर पहूंचकर बिना वास्तविक तथ्यों का संज्ञान लिये अप्रार्थी के विरुद्ध अविधिक व आधारहीन कार्यवाही करके अप्रार्थी के यहां से उसके गैस सिलेण्डर वगैरा जब्त कर लिये गये है जबकि अप्रार्थी से जो गैस सिलेण्डर जब्त किये गये वह किसी भी रुप से अविधिक कृत्य करने की मंशा स्वरुप पास में नहीं रखे थे। अप्रार्थी द्वारा अपने दुकान पर काम करने तथा वहीं पर निवास करने के कारण घरेलु जरुरत हेतु उपरोक्त गैस टंकियों को वहा पर रखा गया था। यह भी, कि अधिकारियों ने गैस सिलेण्डर के स्वामियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी, का नोटीस नहीं दिया, न ही गैस सिलेण्डर के स्वामित्व के बारे में कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न किये, न ही ऐसा कोई मौके पर कोई गवाह निष्पक्ष रुप से लेखबद्ध किये गये। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरुद्ध खोली गई उपरोक्तानुसार कार्यवाही निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी आज बहस के दौरान अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज यथा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.12.2022, तथा अप्रार्थीपक्ष के जवाबपत्र का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन उपरान्त अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना साबित होता है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बीपीसीएल कम्पनी के मय गैस निकालने की 04 नीपल व 01 पाईप तथा 04 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डेर (05 किग्रा) को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बीपीसीएल कम्पनी के मय गैस निकालने की 04 नीपल व 01 पाईप तथा 04 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डेर (05 किग्रा) को मय् गैस सुपुर्ददार अल्ताफ हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सुमेरपुर हाल मैनेजर मैसर्स माधव गैस एजेन्सी, सुमेरपुर से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08. 2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

रसद विविध प्रकरण संख्या : 7/2024

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर बनाम महेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

/नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./07/2024/2025 दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर
3. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल घांची निवासी घांचियो का बास नहर के पास सुमेरपुर हाल प्रोपराइटर मैसर्स वैभव किरणा स्टोर्स नेशनल हाईवे सांडेराव से सुमेरपुर हमारा पम्प के पास सुमेरपुर

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली